राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड

देहरादून 25 जनवरी, 2012

63वें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2012) के अवसर पर उत्तराखण्ड की महामहिम राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा का प्रदेश की जनता के नाम संदेश।

मेरे प्रिय प्रदेशवासियों,

आज भारत के त्रेसठवें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं देश एवं प्रदेश के सभी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बधाईं देती हूँ। मैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया।

उत्तराखण्ड के अधिकांश परिवारों में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की गौरवशाली परम्परा रही है जिस पर हमें गर्व है। राज्य गठन के आन्दोलन में भी यहां के पूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य और देश की सेवा के लिए उनके महान त्याग व समर्पण को मैं पूर्ण श्रद्धा से नमन् करती हूँ।

प्रत्येक भारतीय के लिए यह गौरव की बात है कि छः दशकों से अधिक समय से अलग–अलग जाति, धर्म के लोग न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धान्तों से निर्देशित होकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं।

हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतात्रिंक देश है इसका सतत् विकास इसके घटक राज्यों के विकास पर आधारित है।राज्य गठन के 11 वर्षों में उत्तराखण्ड ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन भविष्य में बहुत चुनौतियां आयेंगी जिनका सामना करना होगा। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें तथा रहन–सहन की बेहतर सुविधाएं राज्य के प्रत्येक नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध हो सकें। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन सुविधाओं का लाभ राज्य के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँच सके।

शिक्षा किसी भी प्रगतिशील समाज की बुनियाद होती है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे स्कूल प्रशिक्षित शिक्षकों तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित हों। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कला, संस्कृति तथा खेल–कूद को पाठ्यक्रम में शामिल करना भी आवश्यक है।

राज्य में उच्चशिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। ऐसे सुधार, जो युवाओं में रचनात्मक सोच विकसित करे, उनकी तकनीकी कौशल व दक्षता को बढाये, उनको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाने में मददगार हो तथा उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने मे सहायक हो।

मैं इस राज्य की महिलाओं की कठिनाईयों तथा उनके विकास की योजनाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं से अच्छी तरह परिचित हूँ। शिक्षा तथा आर्थिक उन्नति की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्हें सशक्त करना होगा। विकास के लाभ में उनकी भागीदारी व अधिकारिता सुनिश्चित करके उनके जीवन की कठिनाईयों को कम किया जा सकता है।

राज्य में बढ़ती कन्या–भ्रूण हत्या की घटनाएं गम्भीर चिन्ता का विषय हैं। जनसामान्य की मानसिकता परिवर्तित करने में मीडिया तथा नागरिक समिति के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मैं उनसे अपील करती हूँ कि समाज के विकास में बाधक ऐसी सभी कुरीतियों के विरूद्ध अभियान चलाने की पहल करें।

सूचना अधिकारी श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड मो0–9456590619 टेली फैक्स 0135–2756172

बच्चों तथा महिलाओं में कुपोषण तथा रक्त अल्पता जैसी गम्भीर समस्याओं के निदान के लिए भी संगठित रूप से एक व्यापक जन–जागरूकता अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा भौतिक सुख–सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी।

राज्य के सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। आम आदमी के लिए चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए डाक्टर तथा नर्सों की कमी दूर करने के साथ ही आवश्यक दवाईयों की नियमित आपूर्ति तथा अपेक्षित बुनियादी संरचना भी विकसित करनी होगी।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी का विकास करने की आवश्यकता है। सम्पर्क मार्गों के लिए रोपवे, ऊर्जा के लिए चीड़ की पत्तियों से निर्मित कोयले, पवन तथा जल विद्युत को विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसी प्रकार वर्षा जल संचयन, हरित–गृह को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग देना होगा। प्रभावी प्रसार सेवाओं के माध्यम से सभी काश्तकारों तक कृषि की उन्नत तकनीक पहुँचानी होगी।

जैव विविधता से सम्पन्न हमारे राज्य के 14 प्रतिशत भू–भाग में छः राष्ट्रीय उद्यान, छः अभयारण्य हैं। बढ़ती जनसंख्या के दबाव में मनुष्य तथा वन्य जीवों के बीच बढ़ते टकराव से उत्पन्न समस्याओं को अनदेखा नही किया जा सकता। इस समस्या के सुरक्षित निदान के लिए स्थानीय समुदाय में वन्य–जीवों के प्राकृतिक परिआवास के संरक्षण तथा वनस्पतियों आदि के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी होगी।

हमारा राज्य औषधीय व पुष्पों की विभिन्न प्रजातियों से समृद्ध है। स्थानीय समुदाय की आर्थिक उन्नति तथा रोजगार सृजन के लिए इनका संतुलित दोहन किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण में यहां की महिलाओं की अहम भूमिका रही है। स्थानीय संसाधनों के उपयोग से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

यद्यपि राज्य में उद्योगों का विकास तीव्र गति से हुआ है लेकिन दुर्भाग्य से उनका विस्तार तराई के शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल लघु उद्योगों की स्थापना के लिए खाद्य प्रसंस्करण तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल के मूल्य संवर्धन हेतु विशेष नीति निर्धारित किए जाने की भी जरूरत है।

राज्य में पर्यटन के विस्तार की अपार संभावनायें हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न हमारे राज्य को देश की राजधानी के निकट होने का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।

उत्तराखण्ड घरेलू पर्यटकों का प्रमुख पर्यटन केंद्र है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान अभी सीमित है। राज्य में विभिन्न धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थल होने से धार्मिक पर्यटन, अप्रतिम नैसर्गिक सौंदर्य व स्वच्छ वातावरण में साहसिक पर्यटन तथा स्वास्थ्य से जुड़े पर्यटन के विस्तार की असीमित संभावनाएं हैं। राज्य के पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए इन क्षेत्रों के दोहन की योजनाएं लाभकारी हो सकती हैं।

इस पहाड़ी राज्य की संस्कृति समृद्ध और विविधतापूर्ण है। इसके संरक्षण तथा पूरे विश्व भर में उसकी पहचान स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से देहरादून में ''हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र'' की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस निर्माणाधीन सांस्कृतिक केन्द्र के माध्यम से हिमालय की इस अद्वितीय विरासत के प्रत्येक आयाम को संरक्षित व प्रोत्साहित करने की योजना है।

हमें प्रत्येक वर्ष आने वाली भूकंप व भू–स्खलन जैसी दैवीय आपदाओं से उत्पन्न खतरों के प्रबन्धन पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। भवन, सड़क तथा जल–विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में वर्तमान में प्रयोग हो रही तकनीक में संशोधन की आवश्यकता है। योजनायें बनाते समय हिमालय के तलहटी क्षेत्र की संवेदनशीलता को भी संज्ञान में रखना होगा।

सूचना अधिकारी श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड मो0–9456590619 टेली फैक्स 0135–2756172

दैवी–आपदा के समय पीड़ितों को समय से राहत पहुँचाना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक गाँव को तैयार करना होगा तथा वहां के लोगों को दैवी आपदा के समय प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। रेड–क्रॉस तथा आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, तत्काल सहायता देने के लिए स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है। इस कार्य के लिए भूतपूर्व सैनिक तथा स्वयंसेवी संगठन बहुत मददगार सिद्ध हो सकते हैं। मैं उन सबका आवाहन करती हूँ कि इसे एक जन–अभियान बनाने में हमारे साथ भागीदारी करें।

हमारा राज्य दो देशों की सीमा से लगा हुआ है। वामपंथी उग्रवाद आज हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विकास की विशेष योजना बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा, ताकि वे अपने गाँवों में रह सकें। गांवों का पलायन रूकने से सीमा पर घुसपैठ और उपद्रव जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा।

हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और गरिमा की गारंटी देता है। हमारा भी कर्तव्य है कि सामाजिक एकता और आर्थिक उन्नति के लिए सकारात्मक वातावरण सृजित करें। भ्रष्टाचार, हिंसा तथा भूमिगत आंदोलन बढ़ रहे हैं। राज्य और देश के सतत् विकास के लिए, एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम केवल अधिकारों की बात न करके पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का भी पालन करें।

मेरे प्यारे राज्य वासियों! राज्य में तीसरे विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है जिसके अन्तर्गत आपको आगामी 05 वर्षों के लिए अपनी सरकार चुनने का अवसर मिल रहा है।

संविधान से प्राप्त अपने मताधिकार का प्रयोग करके आप लोकतंत्र को मजबूत बनायेंगे। मेरी आपसे अपील है कि धन, जाति, धर्म या बल के दबाव में न आयें। राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर निर्भीकता से अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

मैं सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं तथा प्रशासन से भी अपील करती हूँ कि वे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करायें।

एक बार पुनः आप सबको राष्ट्र के इस महान् पर्व–त्रेसठवें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

जय हिंद!

————0————

सूचना अधिकारी श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड मो0–9456590619 टेली फैक्स 0135–2756172